नगर परिषद काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2023
भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1 -376/81-फिन(एल.ए.) खण्ड-IV दिनांक 16-10-2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अंकेक्षण का दायित्व राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , नगर परिषद काँगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया ।

अवधि 4/2022 से 3/2023 के दौरान नगर परिषद काँगड़ा में प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान

क्र०सं०	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती रेणु शर्मा	01-04-2022 से 31-03-2023

कार्यकारी अधिकारी/आहरण व संवितरण अधिकारी

क्रम संख्या	**पदाधिकारियों के नाम**	**अवधि**
1.	श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार (अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-2022 से 10-04-2022
2.	श्री ललित कुमार	11-04-2022 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद काँगड़ा के अवधि 04/2022 से 03/2023 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है : -

क्रम संख्या	अनियमितताओं का सार	पैरा संख्या	(₹लाखों में)
1	अनुदान की अनुपयुक्त राशि का शेष पाया जाना व उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	7.2 व 7.3	877.27
2.	विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वसूल योग्य राशि की वसूली न करना	8.1, 9.1, 10, 11, 12, 13	118.83
3	निविदा को पुल कर अनियमित भुगतान	16,2	0.95
4	सफाई ठेकेदार को अधिक भुगतान	17	2.70
5	ESSL को स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत हेतु अधिक भुगतान	18	0.98

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो मे शेष पैरों पर की गई का र्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट –"1"** पर दर्शाई गई है । गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-78 दिनांक 19-09-2023 द्वारा अवगत करवाया गया जिसके उपरान्त संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि संस्थान की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है संस्थान द्वारा केवल गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/20 से 03/22 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही की गई। अत: नगर परिषद के शेष लम्बित पैरों के निपटारे हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग –2

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद काँगड़ा के लेखों अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 का अंकेक्षण कार्य श्री केवल सिंह, सहायक नियंत्रक द्वारा दिनांक 29-08-2023 से 30-09-2023 तक नगर परिषद काँगड़ा के कार्यालय मे किया गया । जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं । लेखों की विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय की विस्तृत जांच हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित मास
2022-23	03/2023	08/2022

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह तक ही सीमित है ।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद काँगड़ा के अवधि 4/2022 से 3/2023 के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क का आँकलन **₹27000**/-किया गया है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद काँगड़ा को सहायक नियंत्रक, लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या: एस.ए.डी./के.जी.आर./2023-83 दिनांक 22-09-2023 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या -456348 के माध्यम से दिनांक 30-09-2023 को निदेशक, हिमाचल प्रदेश लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेज दिया गया है, जिसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान सुनिश्चित की जाएँ।

4 (क) वित्तीय स्थिति

नगर परिषद काँगड़ा द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद की अंकेक्षण अवधि 4/2022 से 3/2023 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "2"** पर भी दिया गया है।

Consolidated Financial Position of MUNICIPAL COUNCIL KANGRA Distt. Kangra as on 31-03-23

YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving + FDR)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2022-23	Own Sources	35038335.44	15239886.24	2856817.00	53135038.68	18569453.13	34565585.55
	Grant-in-aid	46781107.00	49781719.00	0.00	96562826.00	41136449.00	55426377.00
	Total	81819442.44	65021605.24	2856817.00	149697864.68	59705902.13	89991962.55

(ख)अंतशेष का विवरण

(i) दिनांक 31-03-2023 को बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(परिशिष्ट -2 क)

Detail of Bank Accounts as on 31-03-2023

1	Canara Bank Kangra (Gau Sadan)110102540980	24500.00
2	Yes Bank Kangra 031594600000652 (CFC)	29001793.00
3	Baghat Bank Kangra (MC Fund) 70700145166	255790.50
4	Kangra Central Co-operative (Pension Contribution) 20033037829	797345.00
5	Punjab national Bank (MC Fund) 12342011001191	1110420.44
6	Kangra Central Co-operative (Development) 20033090827	5683935.00
7	Kangra Central Co-operative (Security) 20033091093	2619629.00
8	Kangra Central Co-operative (MC Fund) 20033064682	1434047.00
9	Canara bank Kangra (GST) 3240101000601	134195.00
10	IDBI Kangra (C/O Park)1159104000006989	4636887.00
11	Punjab National Bank (MC Fund) 12342011000750	4383662.45
12	IDBI Kangra (C/O Parking)1159104000019372	4980089.00
13	Indusind Bank (SFC) 100059621543	2453647.47
14	HDFC Kangra (MC Fund) 50100045386324	18412.82
15	Yes Bank (MC Fund) 031594600000414	151258.87
16	Kangra Central Co-operative (Mix) 20033061400	6562742.00
17	HDFC Kangra (online buiding fee) 50100174100868	1035453.85
18	Canara Bank (MMSAGY) 110067735364	26848.00
19	HDFC (13th FC) 50100531915797	9352362.00
20	Yes Bank (Royalty) 031594600000632	82903.00
21	Kangra Central Co-operative (MC Fund) 20033093501	25222.00
22	Kangra Central Co-operative (Labour Cess) 20033081802 (Still Account)	496100.00
23	Kangra Central Co-operative (Gratuity Fund) 20033056569 (Still Account)	2092109.00
24	FDR No.10033047684	86137.00
25	FDR No. 50060211204	54833.00
26	FDR No. 50060211226	54833.00
27	Total Amount of GPF/CPF (Pludged in favour of EOMC Kangra)	12587218.15
	Cash in Hand	144914
	Total :	**90287287.55**

बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31-03-23 को अन्तशेष **₹90287287.55**

(ii) रोकड़ बही /वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31-03-23 को अन्तशेष

₹89991962.55

अंतशेष मेंअन्तर **₹295325.00**

(ग) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट 2-क)

Balance as per Cash book as on 31-03-2023			89991962.55
Add: Interest credited by bank as on 31-03-2023, but not entered in cash book			
1	Baghat Bank Kangra (MC Fund) 70700145166	3398.00	
2	HDFC Kangra (MC Fund) 50100045386324	1048.00	
3	HDFC Kangra (online buiding fee) 50100174100868	7243.00	
4	HDFC (13th FC) 50100531915797	80022.00	
5	Kangra Central Co-operative (MC Fund) 20033093501	2154.00	
6	Grant received from DC Kangra on 31-03-2023, but not credit in cash book on dated 01-04-2023 in account No.(Development) 20033090827	200000.00	
7	online Payment on dated 09-01-2023, which was not debit by bank and return back in cash book on dated 01-04-2023 (CB Page no.62)	100.00	
8	Excess receipt deposit in PNB on dated 29-03-2023, deposited Rs. 114423 instead of Rs. 113063 diffrence of Rs. 1360/-.	1360.00	
	Total	**295325.00**	**295325.00**
	Gross Total		**90287287.55**

दिनांक 31.03.22 को बैंक खातों के अनुसार जमा अन्तशेष ₹**90287287.55**

(घ) बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:-

(i) समाधान विवरणी अनुसार दिनांक 31-03-23 को ₹93865/- का ब्याज बैंक द्वारा जमा किया गया लेकिन रोकड़ बही में दिनांक 31-03-23 तक भी आय पक्ष में नहीं लिया गया। अत: उक्त

ब्याज राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में प्रविष्टि करके समायोजित करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) बैंक समाधान विवरणी अनुसार दिनांक 31-03-23 को ₹200000 उप आयुक्त कांगड़ा से अनुदान प्राप्त किया गया था लेकिन रोकड़ बही में दिनांक 31-03-23 तक भी आय पक्ष मे नहीं लिया गया | अत: उक्त अनुदान राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में प्रविष्टि करके समायोजित करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.) तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार न करना व दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करने के कारण लेखों का सत्यापन न कर पाना :-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्रसं .UD –H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD –H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं .UD–H(C)-15-9/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा खातों को नगर परिषद कांगड़ा द्वारा उक्त आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 हेतु तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर भी लेखा खाते तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण संस्था के लेखा खातों का तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका । अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद कांगड़ा द्वारा अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया था । इस अनियमितता बारे कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 80 दिनांक 02.09.2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया । अत :निदेशक, शहरी विकास विभाग हि०प्र० के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) बैंक खातों के रख-रखाव बारे :-

नगर परिषद द्वारा अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 के दौरान परिषद निधि के 9 बचत खाते निजी बैंकों HDFC, YES, IDBI, INDUSIND में खोल कर **₹51712807/-** राशि जमा की गई थी, जोकि वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन –आई०एफ०(ए)1-68/91 दिनांक 17.04.14 में वर्णित अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि उक्त निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि सहकारी बैंकों में निवेशित की जानी अपेक्षित है। अत: परिषद निधि की राशि को निजी बैंकों में रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त वर्णित निर्देशों के अनुसार सहकारी बैंकों की नजदीकी शाखा में परिषद निधि को निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक शहरी विकास हि.प्र. के पत्र संख्या यू.डी.- एच (बी)(15)-2/91-III दिनांक 2/2013 द्वारा नगर परिषदों को उन की राशि राज्य सरकार के सहकारी बैंकों मे जमा रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। परन्तु नगर परिषद द्वारा उपरोक्त निर्देशों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण एवं नि रीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2020-22 के पैरा-4 " **ङ**" के द्वारा भी कार्यवाही सुनिश्चत करने बारे अवगत करवाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा अधिकतम राशि को सहकारी बैंकों में न रख कर राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों मे रखा जा रहा है। उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में परिषद निधि को सहकारी बैंकों मे रखना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) पैंशन निधि

नगर परिषद कांगड़ा की पैंशन निधि की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "03"** में भी दिया गया है-:

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (₹)**	**कुल राशि (₹)**	**वर्ष के दौरान व्यय (₹)**	**अन्तशेष (₹)**
2022-23	222061	1443932	1665993	868648	797345

(ज) ग्रेच्युटी निधि

नगर परिषद कांगड़ा के ग्रेच्युटी निधि की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -04** में भी दिया गया है-:

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (₹)**	**कुल राशि (₹)**	**वर्ष के दौरान व्यय(₹)**	**अन्तशेष (₹)**
2022-23	2407918	934497	3342415	393448	2948967

5 नगर परिषद के तीन वर्षों का आय –व्यय का विवरण

नगर परिषद काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद के गत तीन वर्षों अर्थात 2020-21 से 2022-23 तक के आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	**स्व -स्त्रोत से आय (₹)**	**अनुदान राशि(₹)**	**कुल व्यय(₹)**
2020-21	22672612	48585802	73681017.56
2021-22	30495543	46554774	75103915.56
2022-23	15239886.24	49781719	59705902.13

6 (1) निवेश

नगर परिषद काँगड़ा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाए गये विवरण के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 को ₹195803/- सावधि जमा मे निवेशित थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

<u>Statement of FDR's of Municipal Council Kangra</u>

क्रम स०	**एफ०डी० आर० स०**	**वैंक का नाम**	**दिनांक**	**निवेशित राशि (₹)**	**दर प्रतिशत**	**अवधि**	**परिपक्वता दिनांक**	**परिपक्वता राशि (₹)**	**कुल राशि (₹)**
1	1003304 7684	के०सी०सी० काँगड़ा	16-10-22	86137	5.50%	1 वर्ष	16-10-23	90973	90973

2	5006021 1204	के०सी०सी० काँगड़ा	11-12-22	54833	6.30%	1 वर्ष	11-12-23	58370	58370
3	5006021 1226	के०सी०सी० काँगड़ा	11-12-22	54833	6.30%	1 वर्ष	11-12-23	58370	58370
			Total: -	₹**195803**				₹207713	₹207713

7 अनुदान

(1)वित्तीय स्थिति

नगर परिषद काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2022से 3/2023 तक से सम्बंधित अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "6"** में दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्राम्भिक शेष (₹)	अनुदान प्राप्त (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	46781107	49781719	96562826	41136449	55426377

(2) अनुदान की अनुपयुक्त ₹554.26 लाख का शेष :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट – "6"** पर अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त अनुदान की राशि मे से दिनांक 31-3-202 3 को ₹55426377/- की अनुपयुक्त राशि शेष थी , जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है । इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 72 दिनांक 30-08-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अत: अनुपयुक्त राशियों को समयबद्ध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन अनुपयुक्त राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्ही उदेश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिन उदेश्यों हेतु यह प्राप्त की गयी है अन्यथा मामले में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) अनुदानों से व्यय ₹323.01 लाख के उपोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "6"(1)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹411,36,449/-का व्यय दर्शाया गया था लेकिन दिनांक 31-03-2023 तक अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित ₹323,00,830/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में अनुदानों के उपयोग का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका। उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 72 दिनांक 30-08-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया।अत :वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना तथा अन्य सरकारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 गृहकर

8.1 गृहकर की बकाया ₹31.04 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अतः इसकी नियमित तौर पर वसूली की जानी जरुरी है । हि०प्र० नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 258 (2) के अनुसार यदि कोई भी राशि जोकि गृहकर दाता द्वारा भुगतान की जानी है, देय दिनांक से अगले 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो, कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा संबधित गृहकर दाता को सूचित करना होता है तथा शेष राशि की वसूली करनी होती है । नगर परिषद काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार (जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। दिनांक 31-03-2023 तक गृहकर के रूप में ₹31,04,296/-की राशि वसूली हेतु शेष पड़ी थी । इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "7"** में भी दिया गया है।

इस राशि के वसूल न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-74 दिनांक 31-08-2023 व 86 दिनांक 29-09-23 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत :गृह कर की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वित्तीय वर्ष 1	प्रारम्भिक शेष 2 (₹)	मांग 3(₹)	कुल राशि 4(₹)	वसूली 5(₹)	छूट 6(₹)	अग्रिम 7(₹)	अंतिम शेष 8(4-5-6+7)(₹)
2022-23	2860155	3249505	6109660	2733143	272668	447	3104296

8.2 केवल 07 गृह कर दाताओं से ही ₹6.76 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31-03-23 को कुल बकाया गृह कर में से₹675919/- केवल परिशिष्ट **"7" –क** में वर्णित 07 गृहकर दाताओं से ही वसूली हेतु शेष थे | जोकि कुल बकाया गृह कर का 21.77 प्रतिशत बनता है। नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाए समय-समय पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं ,इसके वावजूद भी गृह कर की समय पर अदायगी न करना गम्भीर चिन्ता का विषय है। अत: नियमानुसार इन करदाताओं से गृह कर की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर उचित कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 दुकानों के किराये से आय

9.1 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹15.12 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानो पर दुकानों/स्टालों/खोखों आदि का निर्माण किया गया है, तथा उन्हे किराये/पटे पर चढ़ाया गया है। जोकि परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। हि०प्र० नगर परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 258 (2) के अनुसार यदि कोई भी राशि जोकि दुकानदार द्वारा दी जानी है, देय दिनांक से अगले 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो, कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा संबधित दुकानदार को सूचित करना होता है तथा शेष राशि की वसूली करनी होती है | नगर परिषद काँगड़ा द्वारा उपलब्ध कारवाई गयी सूचना के अनुसार (जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है।) दिनांक 31-03-2023 तक

दुकानों/खोखों के किराये के रूप में निम्नविवरणानुसार राशि ₹1512261/- की वसूली हेतु लम्बित थी। इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "8"** में भी दिया गया । जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू.एल.बी.एच.ए.(7)-1/87-9237/9284 दिनांक 20-06-2001 द्वारा करों की शत प्रतिशत वसूली को सुनिचित करने के लिए निर्देश दिये गए थे। लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद काँगड़ा द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए जोकि एक चिन्ता का विषय है। इस राशि के वसूल न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा , को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-7 4 दिनांक 31-08-2023 व 86 दिनांक 29-0 9-23 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत :दुकानों के किराये की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Financial Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Advance	Closing Balance (₹)
1	2	3	4	5	6	7
2021-22	1632594	1177046	2809640	1297579	200	1512261

9.2 किराया वसूली योग्य कुल राशि में से केवल 10 किराए दारों से ही ₹6.62 लाख वसूली का शेष पाया जाना :-

नगर परिषद काँगड़ा के दुकानों/खोखों की माँग एवं वसूली रजिस्टर की पड़ताल उपरान्त पाया गया कि किराया वसूली योग्य कुल राशि ₹1512261/-में से केवल 10 किराएदारों से ही ₹6,61,995/- वसूली हेतु शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "8"-क** में भी दिया गया है। लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद काँगड़ा द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए जो कि एक चिंता का विषय है। अत: परामर्श दिया जाता है कि उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ। इससे संस्था को न केवल केवल वित्तीय हानि हो रही है अपितु भविष्य में किसी क़ानूनी विवाद होने की स्थिति में भी नगर परिषद को हानि उठानी पड़ सकती है। यह एक गम्भीर मामला है; जोकि उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है; कि सम्बंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु

कड़े निर्देश जारी किये जायें ताकि बकाया राशि की वसूली नियमित तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.3 बिना किसी अनुबंध के दुकानों/खोखो/बिल्डिंग्स/साइट्स को किराये पर आबंटित करने सम्बन्धी अनियमितता

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद काँगड़ा द्वारा निम्न विवरणनुसार दुकानों/खोखो इत्यादि को बिना किसी अनुबंध के कार्यन्वित किये ही किराये पर आबंटित किया गया तथा अधिकतर वकाया किराया राशि इन्ही किराये दारो से वसूली हेतू लंबित थी| इस प्रकार से बिना किसी अनुबंध/पटे से दुकानों इत्यादि का किराये पर आबंटित कर देना न केवल संस्था को अनदेखा किया गया बल्कि भविष्य में किसी प्रकार के क़ानूनी विवाद होने की स्थिति में वित्तीय हानि होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: यह एक गम्भीर अनियमितता है|जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए यथाशीघ्र वर्णित दुकानों का अनुबंध कार्यन्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिषद् के हित पूर्णत: सुरक्षित हो तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये:-

क्रम संख्या	सम्पति का प्रकार	बिना अनुबंध के किराये पर दी गई है
1.	दुकानें	7
2.	साइट्स	8
3.	रूम	1
4.	बिल्डिंग	1

10 मोबाईल टाबर नवीनीकरण शुल्क ₹4.20 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश सूचना तकनीकी विभाग सचिव के पत्र संख्या -DIT-DEV.(IT)2005(MISC) दिनांक 22.08.2006 Circulated vide Director Urban Development पत्र संख्या –UD-H(A)(7)-1/2006-10444 दिनांक 25.09.2006 के द्वारा नगर परिषद को अधिकृत किया गया है कि, नगर परिषद के क्षेत्र में स्थापित नये मोबाइल टावर से स्थापना शुल्क प्रति टावर 10000 लिया जाएगा तथा प्रत्येक एक वर्ष पश्चात प्रति टावर 5000 नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा, जोकि पत्र संख्या: DIT-Dev-(IT) 2005 (MISC.) 96 दिनांक 21.06.2017 के अनुसार बढ़ाकर ₹50,000 और ₹25000 कर दी गई है ।इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाँच वर्ष बाद 25% नवीनीकरण शुल्क

बढ़ाया जाएगा तथा 40% छूट दी जा सकती है । यदि 5 वर्षों के शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जाता है।

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "9"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने उपरान्त पाया गया कि दिनाँक 31-03-2023 को निम्न विवर णानुसार विभिन्न मोबाइल टावरों की नवीनीकरण शुल्क `₹420336/- वसूली हेतु शेष थी :-

मोबाईल टावर कम्पनी का नाम	दिनांक 31-03-22 को वसूली योग्य राशि (₹)
RELIANCE TELECOME	44370
BSNL	151970
AIRCELL	82498
VODAFONE	43998
TATA TELE SERVICE	67500
RELIANCE JIO	0
ATC INDIA	30000
Total	**₹420336**

उपरोक्त राशि के वसूल न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा , को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-74 दिंनाक 31-08-2023 व 86 दिनांक 29-09-23 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11 घर-घर से कूड़ा- करकट की बकाया ₹26.10 लाख का वसूली न करना

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन घर-घर से कूड़ा- करकट भी है जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अत: इसकी नियमित तौर पर वसूली की जानी जरुरी है। नगर परिषद काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार प्रस्ताव संख्या- 171, दिनांक 31-12-16 द्वारा दरें निर्धारित की गई थी | परन्तु दिनांक 31-03-2023 तक घर-घर से कूड़ा- करकट के रूप में ₹2610250/- की राशि वसूली हेतु शेष पड़ी थी । इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "10"** में भी दिया गया है।

Financial Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Closing Balance(₹)	%	Remarks
1	2	3	4	5	6	**7**	8
2022-23	2001050	1857000	3858050	1247800	2610250	32.34	

उपरोक्त राशि की वसूली बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-74 दिनांक 31-08-2023 व 86 दिनांक 29-09-23 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है । अत : घर-घर से कूड़ा-करकट की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. नगर परिषद कूड़ा-कचरा संयंत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कूड़ा-करकट गिराने हेतु वसूली योग्य शेष ₹5.91 लाख की वसूली न करना :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण के चलते विभिन्न संस्थाओ से कूड़ा करकट एकत्रित करने हेतू निम्नविवरणानुसार ₹591400/-, दिनांक 31-03-23 तक एकत्रित की जानी शेष है | इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "11"** में भी दिया गया है :-

क्र० स०	संस्था का नाम	अथ शेष	अवधि	वसूली योग्य राशि (प्रतिमाह) (₹)	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	31-03-23 को बकाया राशि(₹)
1	टांडा मेडिकल कॉलेज	649600	4/22 से 3/23 =12माह	80,000	1609600	1507200	102400
2	न०प० नगरोटा ब०	200000	4/22 से 3/23 =12माह	25,000	500000	325000	175000
3	विपनन समिति काँगड़ा	20000	4/22 से 3/23 =12माह	10,000	140000	80000	60000
4	फोर्टिस	160000	4/22 से 3/23	10,000	280000	150000	130000

	अस्पताल		=12माह				
5	हवाई अड्डा गगल	54000	4/22 से 3/23 =12माह	6,000	126000	54000	72000
6	निफ्ट	------	4/22 से 3/23 =12माह	10,000	120000	80000	40000
7	प्रशांती सूर्या कंस्ट्रक्शन क०	------	4/22 से 3/23 =12माह	6,000	72000	72000	0
8	न०प०शाहपुर	-------	4/22 से 3/23=12माह	12,000	144000	132000	12000
	कुल योग	**1083600**		**159,000**	**₹2991600**	**₹2400200**	**₹591400**

इस राशि के वसूल न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-72 दिनांक 30-08-2023 व 86 दिनांक 29-9-23 द्वारा पुनः द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत :विभिन्न संस्थाओ से कूड़ा- करकट की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 रख-रखाव प्रभारों के रूप में वसूली योग्य शेष ₹36.46 लाख की वसूली न करना :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उक्त स्त्रोत रख-रखा व प्रभारों (हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी काँगड़ा) से दिनांक 31-03-202 3 तक निम्न विवरणानुसार ₹36,46,197 /- वसूली हेतु शेष है| जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट"12"** में दिया गया है|

Year	Open. Bal.	Demand	Total	Collection	Advance	Clsg. Bal.	%	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22	3596957	262510	3859467	213270	-	3646197	5.52	

इस राशि के वसूल न करने बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-72 दिनांक 30-08-23व 86 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुन: स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था।

परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है । अत :परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतू प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्य वाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

14 निर्माण कार्य

14.1 सविंदाकार को ₹5130 का अधिक भुगतान करने बारे ।

वाउचर संख्या –13 दिनांक 05-08-2022 ₹24180 /-

आबंटित राशि	₹24100 /-
कार्य का नाम	P/F Stair case in E.O. Residence Ward no -3
कार्य आदेश संख्या	640 ,Dt: 04-05-2022
प्रतिशत	1 4.96% (Above HPSR-2020)
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	32/19
विल संख्या	Ist & Final Bill
सविंदाकार का नाम	Sh Rohit Soni Govt Contractor

अतिरिक्त कार्य जोडे जाने के कारण सविंदाकार को ₹5130/- का अधिक भुगतान किये जाने बारे ।

उपरोक्त वाउचर से सविंदाकार को “P/F Stair case in E.O.Residence Ward no -3 ” हेतु ₹24180 /- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद संख्या 1 में stair case के साथ water tank stand के कार्य को जोड़े जाने के कारण सविंदाकार को ₹5130/- का अधिक भुगतान किया गया। उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी, जिस कारण ₹5130/-का अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अधिक भुगतान का विवरण

Description of Item	Quantity paid	Actual Qty Executed .Which should be paid to	Excess Qty	Rate	Total Excess Payment

		the Contractor			
Item no 1- Steel work in single section I/C cutting hoisting and fixing in position and applying primer coat etc **<u>Stand angle</u>** 1. **40x40x5** 2.**35x35x4** **<u>Flat 20x5</u>** **<u>Water Tank Stand Angle</u>** **40x40x5** **<u>Flat 50x5</u>**	17.10R.Mt@3kg/R Mt = **51.30 kg** 24.34R.Mt @2.10kg/R Mt=**51.11 kg** 68.28R Mt@,80 kg/R Mt= **54.62 kg** 12.20R.Mt@3kg/R Mt = **30.60 kg** 10.35R Mt@,2 kg/R Mt= **20.70 kg**	17.10R.Mt@3kg/R Mt =**51.30 kg** 24.34R.Mt @2.10kg/R Mt= **51.11 kg** 68.28R Mt@,80 kg/R Mt= **54.62 kg**	--------- ----- 51.30 kg	--------- --------- 100 per kg	--------------- --------- 5130
Item no 2- P/F pipes for Railing 2 inch dia	12.40@2.66 kg/R Mt= **32.98 kg**	12.40@2.66 kg/R Mt= **32.98 kg**	----	------	-----
				Total	₹5130

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 81 दिनांक 21-09-2023, व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत

करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: अधिक भुगतान की गई   ₹5130 की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

14.2 निर्माण कार्य पर ₹0.65 लाख का अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या –13-16 दिनांक 05-08-2022 ₹64708/-

आबंटित राशि	₹64708/-
कार्य का नाम	P/F Door in Municipal Council Ground Toilet w-8
कार्य आदेश संख्या	116 ,Dt: 04-02-2022
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	32/07
बिल संख्या	Ist & Final Bill
सविंदाकार का नाम	Sh Rohit Soni Govt Contractor

हिमाचल प्रदेश लेखा अधिनियम के नियम 28.24 के अनुसार निर्माण कार्यों की निविदा खोलने की दिनांक से छः माह तक ही वैध होती है। नगर परिषद ने   निविदा पत्र संख्या –919, दिनांक 20-05-21 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई व एक ही दिन खोली गई जबकि निविदा की अवधि 19-05-21 तक ही वैध थी उसके उपरांत कार्यालय आदेश संख्या 116,   दिनांक 4-2-22 को उक्त निविदा पर निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया जोकि अनुचित प्रतीत होता है जिसको नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 5 दिनांक 26-09-2023, व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।अत: अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उचित समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की गई ₹64708 की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

14.3 सविंदाकार को JCB के किराये ₹0.5 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

चयनित माह 08/2022 के वाउचर संख्या 45 दिनांक 11-8-22 की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नाले की सफाई (Cleaning of Nallah near Baba Parking ward No 4 &9) हेतु श्री विवेक कुमार कांगड़ा सविंदाकार को उनके बिल संख्या 31, दिनांक 16-7-22 **JCB किराये** के₹ 50000 (50 घंटे @ 1000) का भुगतान किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई जिनका शीघ्र अति शीघ्र उचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1 नगर परिषद द्वारा JCB को किराये पर लेने के लिए कोई भी औपचारिकतायें (निविदा आमन्त्रण, आपूर्ति आदेश) पूर्ण नही की गई और नही कार्य आदेश पारित किये गये।

2. नाले की सफाई के कार्य को कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

3. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1975 के नियम 198 के अनुसार नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्य करवाया जाता है तो उसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जानी अपेक्षित है परन्तु नाले की सफाई के कार्य की माप पुस्तिका में कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई ।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 5 दिनांक 26-09-2023, व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उचित समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14.4. रॉयल्टी की राशि ₹2448 कटौती न करना :-

चयनित माह 08/22 में निर्माण कार्यों के बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत माप पुस्तिकयों में दर्ज की गई प्रविष्टि यों से निम्न विवरणनुसार हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कन्सेशन) नियम 1971 का निरसनं कर हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (क्न्सेस्न) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन आफ इललीगल माइनिंग, ट्रांस पोर्टेशन एवं स्टोरेज) नियम 2015 के अनुसार ₹80 प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्माण कार्यों में उपभोग की गई व क्रय की गई सामग्री से रॉयल्टी राशि ₹2448 की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों

से रॉयल्टी की कटौती न करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्रम स०	आपूर्ति कर्ता	वा०स० /दिनांक/ बिल स०	मद नाम	मात्रा (cft/ sq ft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मी०टन)	रायल्टी प्रति मी०टन	राशि (₹)
1	मैसर्ज रोहित सोनी काँगड़ा सरकारी ठेकेदार	9-12/5-08-22	रेत बजरी	- -	10 10	1.60 1.46	16 14.60	80 80	1280 1168
								कुल योग	**₹2448**

इस बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 85 दिनांक 26-09-2023 व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: वर्णित अनियमितता का उचित तरीके से समाधान करके सुनिश्चित की जाए इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों में उपभोग की गई सामग्री से रॉयल्टी की कटौती अपने स्तर पर करके सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है

1 Providing and laying inter locking tiles near house of Surinder Kumar to Kalidass house Ward no -2 Kangra .M.B. No-32 page-14

15. स्थापना :-

नगर परिषद कांगड़ा की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल उपरांत पाया गया कि उषा देवी (सफाई कमचारी), वीणा देवी (सफाई कर्मचारी),अरुण कुमार (सफाई कर्मचारी), संजय कुमार (सफाई कर्मचारी), विकास कुमार (सफाई कर्मचारी) व रूबी देवी (सफाई कर्मचारी) का छुट्टी लेखा अवधि 01-07-22 से 31-03-23 तक पूर्ण नही था । अत: सम्बन्धित कर्मचारियों का उक्त

अवधि का छुट्टी लेखा तैयार करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 अनियमित व्यय

16.1 सेवा व वस्तु कर ₹0.10 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे ।

चयनित माह 08/2022 के वाउचर संख्या 47, दिनांक 11-8-22 की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा मैसर्ज वलवंत रायबल कृष्ण कांगड़ा को उनके बिल संख्या 10, दिनांक 18-7-22 ₹64900 (₹55000+₹9900 GST 18%) का भुगतान 500 लीटर ब्लैक फिनाइल व 500 लिटर ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु किया गया है। वस्तु व सेवा कर अधिनियम -2017 की सूचि –III के अनुसार ब्लैक फिनाइल व ब्लीचिंग पाउडर जीएसटी में शामिल नही हैं परिणामस्वरूप ₹9900 जीएसटी के किये भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए ।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85 दिनांक 26-09-2023, व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: अनियमित भुगतान की गई ₹9900 की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

16.2 निविदाओं को पुल कर ₹0.95 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या –यूडी(एच)(7)-2/2012-बी-19328-389 दिनांक 31-05-2022 की अनुपालना में नगर पालिका क्षेत्र के महत्वपूर्ण /चिन्नित स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए पालिका के स्व -स्त्रोतों से खर्च करने के निर्देश किये गये थे जिसकी अनुपालना में नगर परिषद कांगड़ा द्वारा 03 कैमरे क्रय करने हेतु निवदा अमंत्र पत्र संख्या – MCK/2022-931-935 dt ,8-6-22 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। तीन फ़र्मों

i. Jai Man Durga communication village bhadiyada Distirict kangra –GST no -02BVKPD8659

ii. M/s luxshmi electronics shop no -05 bir complex Pathankot –Without GST

iii. Jai Man Durga village bhadiyada Distirict kangra –GST no -02BVKPD8659

की निविदा प्राप्त की गई व तुलनात्मक विवरणी की पड़ताल उपरांत Jai Man Durga communication village bhadiyada Distirict kangra –GST no -02BVKPD8659 की निविदा की दरें कम होने पर अनुमोदित की गई। नगर परिषद ने वाउचर संख्या 80 दिनांक 30-08-22 द्वारा उनके बिल संख्या -002, दिनांक 24-08-22 ₹94455 का भुगतान किया जिसमें निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

1 क्रम संख्या i व iii पर वर्णित फ़र्मों का पता व GST No. एक ही है जिससे यह प्रतीत होता है कि निविदाओं को पुल करके अनियमित भुगतान किया गया है।

2. 03 No.कैमरे क्रय करने के लिए नगर परिषद के स्व- स्त्रोत से भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि SFC अनुदान से भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट करें व न्यायोचित ठहराया जाए।

3. क्रय किये गये कैमरों की स्टॉक प्रविष्टि भी पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84 दिनांक 25-09-2023, व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उचित समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की गई ₹94455 की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए

17. सफाई ठेकेदार को ₹2.70 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

चयनित माह 08/2022 के वाउचर संख्या 24-25 दिनांक 8-8-22 की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद कांगड़ा ने घर-घर कूड़ा-कचरा एकत्रित करने हेतु प्रस्ताव संख्या-184/22, दिनांक 25-03-22 द्वारा मैसर्ज सुनील कुमार वार्ड न०-4 कांगड़ा (ठेकेदार) को उनके बिल संख्या 24, दिनांक 5-8-22 ,घर-घर कूड़ा-कचरा एकत्रित करने के ₹215550 का भुगतान किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई जिनका शीघ्र अति शीघ्र उचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1. नगर परिषद के अवार्ड पत्र संख्या –न०प०का०/2022-441 दिनांक 26-03-22 द्वारा अवधि 01-04-22 से 31-03-23 तक एक वर्ष के लिए घर-घर कूड़ा-कचरा एकत्रित करने हेतु ₹193050 का आबंटित किया गया था ज बकि ठेकेदार को ₹215550 का भुगतान किया गया।

इस प्रकार ₹22500 प्रति माह x12=₹270000(₹215550-₹193050) का अधिक भुगतान किया गया।

2. कार्य के विस्तृत अनुमान से सम्बन्धित अभिलेख जिसके आधार पर कार्य का अनुमान तैयार किया गया था लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल जिसके आधार पर भुगतान किया गया बिना जीएसटी न० था जिसको नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए।

3. अनुबंध की शर्त 19 के अनुसार ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य पर रखे गये कर्मचारियों का EPF जमा करवा कर रसीदें प्रति माह नगर परिषद कार्यालय में जमा की जानी अपेक्षित थी परन्तु उक्त रसीदें जमा नही करवाई गयी प्रतीत होती हैं ।

4. कार्य आबंटन से सम्बन्धित विभागीय जस्टिफिकेसन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

5. भुगतान वाउचरों के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित चार्ट नहीं लगाया गया था।

इस बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85 दिनांक 26-09-2023 व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: अधिक भुगतान की गई ₹2,70,000 की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

18 मैसर्ज EESL को Street Lights की मुरम्मत हेतु ₹0.98 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 के व्यय वाउचर संख्या -68 दिनांक 20-08-23 की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाइट के रख-रखा व व मुरम्मत हेतु मैसर्ज EESL के मध्य LEDStreet Lights Project के नाम से अगस्त/2016 से जुलाई/2023 तक 7 वर्षों के लिये MOU किया गया है जिसके अंतर्गत समस्त स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत एवं रख-रखाव से सम्बंधित कार्य मैसर्ज EESL द्वारा किया जाना अपेक्षित था तथा इसके कारण के अंतर्गत मैसर्ज EESL को **₹98121** का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसको नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्य वाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम स०	वा० स०/दिनांक	बिल सं० /दिनांक	राशि (₹)	टिप्पणी
1	68/20.08.22	13048535 /31-01/22	98121	क्रम सं० 4 पर वर्णित बिल ₹98121 में से ₹ 14926 सचिव नगर पंचायत कोटखाई के नाम पर था जिसको ठीक करके ₹98121 कर दिया गया है।
2	68/20.08.22	13050127 /28-02-22	98121	
3	68/20.08.22	13052019 /31-03-22	98121	
4	68/20.08.22	13053038 /30-04-22	98121	
5	68/20.08.22	13055059 /31-05-22	98121	
		कुल योग	**490605**	

इस आपत्ति बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79 दिनांक 20-09-2023 व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: अधिक भुगतान की गई ₹98121 की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

19. सीमेंट मांगपत्र (इंडेंट) व MAS रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करने बारे :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया, कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2 2 से 03/23 में विभिन्न कार्यो के लिये सीमेंट बैग जारी किये गए है, लेकिन इस अवधि से सम्बन्धित मांग पत्र, जिससे निर्माण कार्यो को कितनी सीमेंट सामग्री जारी की गई, सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही इससे सम्बन्धित MAS (work wise) रजिस्टर को अंकेक्षण पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है | इस बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 76 दिनांक 01-09-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया | अत : उक्त सीमेंट जारी करने से सम्बन्धित मांग पत्र व MAS रजिस्टर अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित किये जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

20. Works estimate व work ledger register पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करने बारे :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान बार-बार आग्रह करने पर भी निर्माण कार्यो के Works estimate व work ledger register को पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये है जिससें किये गये निर्माण कार्यो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है | इस वारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 86 दिनांक 26-09-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: निर्माण कार्यो से सम्बन्धित Works estimated व work ledger register रजिस्टर अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित किये जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

21. मक प्रभार,अनापत्ति प्रमाण पत्र व पारित नक्शों के दस्तावेज़ पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करने बारे:-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पास किये गए नक्शे, मक प्रभारों व **अनापत्ति प्रमाण पत्र** से वसूल गई राशि से संबंधित दस्तावेजों को पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया |जिससें पास किये गए नक्शे, मक प्रभारो व **अनापत्ति प्रमाण पत्र** से वसूली गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे कार्यकारी अधिकारी काँगड़ा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 82 दिनांक 21-09-2023 व 87 दिनांक 29-09-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति से कार्यकारी अधिकारी कांगड़ा को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर नही दिया गया। अत: सम्बन्धित दस्तावेजो का अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित किये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

22. बही खातों (Ledger) (कार्य) का रख-रखाव न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, नगर परिषद काँगड़ा द्वारा बही खाते (Ledger) (स्थापना एवं कार्य) का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है; जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है। बही खाता बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरंत अनुदान/निधियों विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति, किये गया व्यय तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। इसके अभाव में संस्था द्वारा अनुदान इत्यादि से किसी कार्य विशेष से सम्बंधित किये गये व्यय व उपलब्ध

अन्तशेष की सत्यता की पुष्टि करना संभव नहीं है। अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये इन बही खातों रख-रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

23 टेन्डर शुल्क वसूली रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, नगर परिषद काँगड़ा द्वारा टेन्डर फ़ीस वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है। इस रजिस्टर के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि नगर परिषद द्वारा कितनी टेंडर फीस वास्तव में एकत्रित की गई इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी इसके अत्तिरिक्त प्राप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता। अत: इस कार्य प्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए आगामी अंकेक्षण में उक्त रजिस्टर का रख-रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

24. स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में वर्णित प्रावधानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्टोर/स्टॉक मे पड़ी मदों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । अभिलेख की पड़ताल मे पाया गया कि नगर परिषद के स्टॉक मे पड़े सामान की वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गयी थी। जोकि वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलंब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपलना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मे प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

25 महत्वपूर्ण अभिलेख का रख-रखाव न करना

नगर परिषद द्वारा नियमानुसार अभिलेखों का उचित रख-रखा व नही किया गया था। विभिन्न अभिलेखों में आधी-अधूरी प्रविष्टियां की हुई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या -119 दिनांक 29-09-22 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु

अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अत: निम्नलिखित अभिलेखों का नियमानुसार उचित रख-रखाव एवं अधतन (Updation) सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1.चिकित्सा बिल रजिस्टर

2.सविंदाकर बही

3.अग्रिम रजिस्टर

4.विज्ञापन रजिस्टर

5.यात्रा भत्ता रजिस्टर

26. लघु आपति विवरणिका : यह अलग से जारी नहीं की गयी है अपितु सभी लघु आपत्तियो का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

27. निष्कर्ष: नगर परिषद के लेखों मे सुधार के लिए पर्यवेक्षण एवं सुद्दढ़ लेखांकन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितांत आवश्यकता है।

हस्ता/–
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या : V(5) फिन (एल0ए0) खण्ड–7–9053–9054 दिनांक 01.12.2023
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद काँगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/–
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

फोन नं0–0177–2620881